भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

07.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2369 का उत्तर

सामान्य और शयनयान श्रेणी के डिब्बों में अत्यधिक भीड़भाड़

2369. श्री जोस के. मणिः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कई मार्गों पर सामान्य और शयनयान श्रेणी के डिब्बों में अत्यधिक भीड़ की समस्या पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या इस प्रकार की अत्यधिक भीड़ से उत्पन्न होने वाली यात्री सुरक्षा के संबंध में कोई आकलन किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भीड़भाड़ वाले मार्गों पर डिब्बों की क्षमता बढ़ाने और अतिरिक्त रेलगाडियाँ चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार लंबी दूरी की रेलगाडियों में सामान्य श्रेणी के डिब्बों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारतीय रेल ने साधारण सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए सुविधाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। केवल वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ही, साधारण श्रेणी के कम से कम 4 सवारी डिब्बों वाली लंबी दूरी की विभिन्न गाड़ियों में 1250 साधारण सवारी डिब्बों का उपयोग किया गया। इसी प्रकार, वर्ष 2025-26 के दौरान 160 साधारण श्रेणी सवारी डिब्बों सहित लगभग 870 सवारी डिब्बों का उपयोग स्थायी संवर्धन के लिए किया गया है।

निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों की यात्रा संबंधी मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेल ने 17,000 अवातानुकूलित सवारी डिब्बों (साधारण/शयनयान) का विनिर्माण करने का कार्य शुरू कर दिया है।

भारतीय रेल पर, अवातानुकूलित सवारी डिब्बों का प्रतिशत लगभग 70% है, जबकि वातानुकूलित सीटों की तुलना में जिसका प्रतिशत लगभग 22% है, अवातानुकूलित सीटों का प्रतिशत लगभग 78% है। विवरण निम्नानुसार हैं:

तालिका 1: सवारी डिब्बों का वितरण:

सवारी डिब्बों का प्रकार	सवारी डिब्बों की संख्या	प्रतिशत
अवातानुकूलित सवारी डिब्बे (साधारण और शयनयान)	~62,000	~70%

वातानुकूलित सवारी डिब्बे	~27,000	~30%
कुल सवारी डिब्बे	~89,000	100%

तालिका 2: सीटों का वितरण:

सीटों का प्रकार	सीटों की संख्या	प्रतिशत
अवातानुकूलित सीटें	~54 लाख	~78%
वातानुकूलित सीटें	~15 लाख	~22%
कुल सीटें	~69 लाख	100%

इसके अलावा, साधारण और अवातानुकूलित शयनयान सवारी डिब्बों का उपयोग करने वाले यात्रियों को अधिक एकोमोडेशन प्रदान करने के लिए, मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की संरचना संबंधी मौजूदा नीति में 22 सवारी डिब्बों वाली एक गाड़ी में 12 (बारह) साधारण श्रेणी और शयनयान श्रेणी अवातानुकूलित सवारी डिब्बे और 8 (आठ) वातानुकूलित सवारी डिब्बे का प्रावधान है, जिससे साधारण और अवातानुकूलित शयनयान सवारी डिब्बों का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए अधिक एकोमोडेशन प्राप्त हो सके।

इसके अलावा, अनारक्षित एकोमोडेशन का लाभ उठाने के इच्छुक यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारतीय रेल किफायती यात्रा हेतु अनारक्षित अवातानुकूलित यात्री गाड़ियां/एमईएमयू/ईएमयू आदि परिचालित करती है, जो मेल/एक्सप्रेस सेवाओं में उपलब्ध अनारक्षित एकोमोडेशन (सवारी डिब्बों) के अतिरिक्त हैं।

स्पेशल गाड़ियां:

भारतीय रेल त्यौहारों, छुट्टियों आदि के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने और नियमित सेवाओं द्वारा उपलब्ध एकोमोडेशन के अलावा अतिरिक्त एकोमोडेशन उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल गाड़ी सेवाएं भी परिचालित करती है। तदनुसार, भारतीय रेल नेटवर्क में स्पेशल गाड़ियों की संख्या गर्मियों/सर्दियों की छुट्टियों, होली, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, क्रिसमस, सबरीमाला, ईद-उल-फितर आदि जैसे त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए परिचालित की गई है, जो निम्नानुसार है:

वर्ष	फेरों की संख्या
2023-24	~40,500
2024-25	~85,400
2025-26	~80,500

भारतीय रेल, समाज के सभी वर्गों को किफायती, अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के अपने निरंतर प्रयास में, नई रेलगाड़ी सेवाएं शुरू करती है, मौजूदा रेलगाड़ियों को बढ़ाती है और विशेष रेलगाड़ियां भी चलाती है।

अमृत भारत और नमो भारत रैपिड रेल नई रेलगाड़ियां:

अमृत भारत सेवाएं

निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों को किफायती यातायात साधन उपलब्ध कराने हेतु भारतीय रेल ने अमृत भारत सेवाएँ प्रारम्भ की हैं, जो पूर्णतः अवातानुकूलित आधुनिक रेलगाड़ियां हैं। वर्तमान में, अमृत भारत में 11 साधारण श्रेणी के सवारी डिब्बे, 8 शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बे, 1 रसोई-यान और 2 द्वितीय श्रेणी सामान सह दिव्यांगजन सवारी डिब्बे शामिल हैं।

उच्च गति और उन्नत संरक्षा मानक इस रेलगाड़ी की पहचान हैं, जिसमें निम्नलिखित उन्नत विशेषताएं और सुविधाएं हैं:

i. वंदे भारत स्लीपर के समान उन्नत रूप और अनुभव के साथ सीट और बर्थ का बेहतर सौंदर्यीकरण।
ii. झटका मुक्त सेमी-ऑटोमेटिक कपलर्स।
iii. क्रैश ट्यूब के प्रावधान से सवारी डिब्बों में बेहतर क्रैशवर्दीनैस।
iv. सभी सवारी डिब्बों और सामान कक्ष में सीसीटीवी प्रणाली का प्रावधान।
v. शौचालयों के बेहतर डिज़ाइन।
vi. बर्थ पर आसानी से चढ़ने के लिए सीढ़ी की बेहतर डिज़ाइन।
vii. बेहतर एलईडी लाइट फिटिंग और चार्जिंग सॉकेट।
viii. ईपी सहायता प्राप्त ब्रेकिंग प्रणाली का प्रावधान।
ix. शौचालयों और इलेक्ट्रिकल क्यूबिकल्स में एरोसोल आधारित अग्निशमन प्रणाली।
x. यूएसबी टाइप-ए और टाइप-सी मोबाइल चार्जिंग सॉकेट।
xi. यात्री और गार्ड/रेलगाड़ी प्रबंधक के बीच पारस्परिक संचार के लिए आपातकालीन टॉक-बैक प्रणाली।
xii. उन्नत तापन क्षमता वाला अवातानुकूलित रसोईयान।
xiii. आसानी से जोड़ने और अलग करने के लिए त्वरित निस्तारण तंत्र के साथ पूर्ण रूप से सीलबंद गैंगवे।

27.07.2026 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल नेटवर्क पर निम्नलिखित 36 जोड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस गाड़ी सेवाएं परिचालित की जा रही हैं:

क्र.सं.	**गाड़ी संख्या और नाम**
1	11015/11016 लोकमान्य तिलक (टी) - सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस
2	13697/13698 गया - दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
3	15293/15294 मुजफ्फरपुर - चर्लपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
4	15557/15558 दरभंगा - आनंद विहार (टी) अमृत भारत एक्सप्रेस
5	15561/15562 दरभंगा - गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस
6	15567/15568 बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार (टी) अमृत भारत एक्सप्रेस
7	22361/22362 राजेंद्रनगर (टी) - नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
8	13433/13434 एसएमवीटी बेंगलुरु - मालदा टाउन अमृत भारत एक्सप्रेस
9	13435/13436 मालदा टाउन - गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस

10	15133/15134 छपरा - आनंद विहार (टी) अमृत भारत एक्सप्रेस
11	14047/14048 सीतामढ़ी - दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
12	14627/14628 सहरसा - छैहरटा अमृत भारत एक्सप्रेस
13	19623/19624 मदार - दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस
14	16601/16602 ईरोड - जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस
15	19021/19022 उधना - ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस
16	15671/15672 कामाख्या - रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस
17	20609/20610 न्यू जलपाईगुड़ी - तिरुच्चिराप्पल्लि अमृत भारत एक्सप्रेस
18	16597/16598 एसएमवीटी बेंगलुरु - अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस
19	11031/11032 पनवेल - अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस
20	16107/16108 ताम्बरम - सांतरागाछि अमृत भारत एक्सप्रेस
21	13065/13066 हावड़ा - आनंद विहार (टी) अमृत भारत एक्सप्रेस
22	22587/22588 सियालदह - बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस
23	20603/20604 न्यू जलपाईगुड़ी - नागरकोविल अमृत भारत एक्सप्रेस
24	15949/15950 डिब्रूगढ़ - गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस
25	16121/16122 ताम्बरम - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल अमृत भारत एक्सप्रेस
26	16329/16330 नागरकोविल - मंगलूरू अमृत भारत एक्सप्रेस
27	17041/17042 चर्लपल्ली - तिरुवनंतपुरम नॉर्थ अमृत भारत एक्सप्रेस
28	16619/16620 पोत्तनूर - धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस
29	16357/16358 नागरकोविल - चर्लपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
30	15673/15674 चर्लपल्ली - कामाख्या अमृत भारत एक्सप्रेस
31	17065/17066 चर्लपल्ली - शालिमार अमृत भारत एक्सप्रेस
32	22589/22590 बनारस - हडपसर अमृत भारत एक्सप्रेस
33	22111/22112 लोकमान्य तिलक (टी) - अयोध्या अमृत भारत एक्सप्रेस
34	14663/14664 अमृतसर - न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस
35	19725/19726 खातीपुरा - दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस
36	11431/11432 पुणे - दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस

नमो भारत रैपिड रेल सेवाएं:

भारतीय रेल ने नमो भारत रैपिड रेल सेवाओं की शुरुआत की है। इन सेवाओं का लक्ष्य कम दूरी की आवाजाही के लिए उपनगरीय और क्षेत्रीय दैनिक यात्रियों के यात्रा अनुभव में संवर्द्धन करना है। नमो भारत रैपिड रेल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. केंद्रीकृत रूप से नियंत्रित डबल लीफ स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे।
2. संरक्षा और यात्रियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी।
3. कुशन वाली सीटों और सीलबंद लचीले गलियारे के साथ मॉड्यूलर आंतरिक सज्जा।
4. आपातकालीन बातचीत प्रणाली।
5. ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था के साथ एलईडी लाइटों की निरंतर व्यवस्था।
6. वैक्यूम निष्कासन के साथ एफआरपी मॉड्यूलर टॉयलेट।

7. वातानुकूलित ड्राइवर कैब के साथ पूर्णतः वातानुकूलित गाड़ियां।

27.07.2026 की स्थिति के अनुसार, निम्नलिखित 4 नमो भारत रैपिड रेल सेवाओं का परिचालन किया जा रहा है:-

क्र.सं.	**गाड़ी सं. और नाम**
1	94801/94802 अहमदाबाद-भुज नमो भारत रैपिड रेल
2	94803/94804 जयनगर-पटना नमो भारत रैपिड रेल

यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा

स्टेशनों में यात्रियों की संरक्षा व सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा राजकीय रेल पुलिस/स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय करके निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

i. रेल यात्रियों को तत्काल सहायता के लिए, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली रेल मदद शिकायत करने, सहायता मांगने और पूछताछ करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। यात्री हेल्पलाइन नंबर 139, रेल मदद वेबसाइट, मोबाइल ऐप और एसएमएस जैसे कई साधनों वाले रेल मदद के माध्यम से शिकायत निवारण की मांग कर सकते हैं। यह माध्यम यात्रियों को उनकी शिकायतों के समाधान पर प्रतिक्रिया साझा करने में भी सक्षम बनाता है।
ii. रेल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए ट्विटर, फेसबुक आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया साधनों के माध्यम से रेल यात्रियों के साथ नियमित रूप से संपर्क में है।
iii. चोरी, झपटमारी, जहरखुरानी आदि से बचने हेतु यात्रियों को जागरूक करने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार घोषणाएं की जाती हैं।
iv. यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए अधिकांश सवारी डिब्बों में और रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध सीसीटीवी कैमरों द्वारा निगरानी की जाती है।
v. रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए संबंधित पुलिस महानिदेशक/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) का गठन किया गया है।
vi. भीड़ प्रबंधन को राजकीय रेल पुलिस/राज्य पुलिस और संबंधित रेल विभाग के समन्वय से सुनिश्चित किया जाता है।
vii. सभी रेलवे स्टेशनों पर अतिसंवेदनशीलता का आकलन किया जाता है और तदनुसार अत्यधिक भीड़ के दौरान भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने और यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) और रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) कर्मियों को यथासंभव तैनात किया जाता है।
viii. अधिक भीड़ के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति से बचने और यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए पैदल पार पुल पर राजकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल कर्मियों को तैनात किया जाता है।

भारतीय रेल में स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए, रेलवे द्वारा निम्नलिखित निर्णय भी लिए गए हैं:

I. भारतीय रेल पर भीड़ प्रबंधन के लिए चिह्नित स्टेशनों पर स्थायी प्रतीक्षा क्षेत्र का निर्माण: रेल मंत्रालय ने प्लेटफॉर्मों को भीड़भाड़ से मुक्त करने के लिए यात्री प्रतीक्षा क्षेत्र बनाने की योजना शुरू की है, जिसे बैठने, पीने के पानी, शौचालय, टिकटिंग सुविधाएं, सूचना प्रदर्शन और सुरक्षा जांच जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ आरामदायक, सुव्यवस्थित स्थान की परिकल्पना की गई है ताकि व्यस्त समय में यात्रियों की भीड़ को संभाला जा सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा क्षेत्र पहले ही कमीशन हो चुका है, जिससे भीड़-भाड़ कम हुई है और अतिरिक्त टिकट काउंटर, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम), यात्री सचेतन प्रणाली (पीएएस), विद्युतीकृत रेल सूचना बोर्ड, सीसीटीवी निगरानी, सामान स्कैनर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी), निर्बाध बिजली आपूर्ति, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, हाई वॉल्यूम लो स्पीड (एचवीएलएस) पंखे, अग्निशमन प्रणाली और बिजली सुरक्षा प्रणाली, आरओ पेयजल और पुरुषों, महिलाओं तथा दिव्यांगजनों के लिए अलग-अलग शौचालयों जैसी सुविधाओं के साथ यात्रियों की सुविधा में वृद्धि हुई है।

II. संपूर्ण पहुंच नियंत्रण की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को सीधे प्लेटफार्मों पर प्रवेश की अनुमति दी जा रही है, जबकि बिना टिकट या प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को बाहर के प्रतीक्षा क्षेत्रों में ठहराया जाता है। संपूर्ण पहुंच नियंत्रण की व्यवस्था की जा रही है जहां कन्फर्म आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को सीधे प्लेटफार्मों तक पहुंच प्रदान की जाएगी, जबकि बिना टिकट या प्रतीक्षा सूची वाले यात्री प्रतीक्षा क्षेत्र में ठहरेंगें।

III. कड़ी निगरानी और प्रभावी भीड़ प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में एआई-सक्षम सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं।

IV. बड़े स्टेशनों पर वॉर रूम स्थापित किए जा रहे हैं, जहां सभी विभागों के अधिकारी भीड़ की स्थिति का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए समन्वय में कार्य करेंगे।

V. अधिक भीड़भाड़ वाले सभी स्टेशनों पर वॉकी-टॉकी, जन उद्घोषणा प्रणाली, कॉल प्रणाली जैसे नवीनतम डिज़ाइन के डिजिटल संचार उपकरण लगाए गए हैं।

VI. सभी कर्मचारियों और सेवाकर्मियों को नए डिज़ाइन के क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र दिए जाएंगे ताकि केवल अधिकृत व्यक्ति ही स्टेशन में प्रवेश कर सकें।

VII. सभी कर्मचारियों को नए डिज़ाइन की वर्दी प्रदान की जाएगी ताकि संकट की स्थिति में आसानी से उनकी पहचान की जा सके।

VIII. सभी बड़े स्टेशनों पर, एक वरिष्ठ अधिकारी को स्टेशन निदेशक के रूप में नामोदिष्ट किया जाएगा, जिसे स्टेशन सुधार के लिए तत्काल निर्णय लेने के लिए वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाएंगी। एकीकृत कमान और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी विभाग सीधे स्टेशन निदेशक को रिपोर्ट करेंगे।

IX. स्टेशन निदेशक को स्टेशन और उपलब्ध गाड़ियों की क्षमता के अनुसार टिकटों की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाएगा।
